न्यायालयः— उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा

पीठासीन अधिकारी :— चन्द्रशेखर भण्डारी (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 07 / 2020 प्रार्थना पत्र

वक्ता पिता देवाजी जाति भील आयु वयस्क निवासी निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ——प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ——विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित :— 1— नरेन्द्र वैष्णव — अधिवक्ता वादी

2— पेरोकार सरकार — अधिवक्ता विपक्षी

दिनांक 31-5-2022

::निर्णय::

संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 लै0रे0एक्ट का पेश कर निवेदन किया कि—

कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा साकरिया प0ह0 साकरिया तह0 निम्बाहेडा की खाता संख्या 132 के आराजी नं0 97 रकबा 0.5200 हैक्टेयर भूमि जिसके पूराने आराजी नं0 462 / 39 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा स्थित है।

यह कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात जिसके पुराने पूराने आराजी नं0 462 / 39 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे का त की थी उक्त आराजीयात सेटलमेन्ट से पूर्व जमाबंदी संवत 2065—2068 में खाता नं0 223 की पूराने आराजी नं0 462 / 39 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा दर्ज थी परन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से उक्त आराजीयात जिसके नये आराजी नं0 97 रकबा 0.5200 हे0 भूमि में प्रार्थी का नाम वक्ता के बजाए नवीन जमाबंदी में बन्ता नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी का नाम वक्ता होकर पूर्व मे सही रुप

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

से दर्ज चला आ रहा था जो जो राजस्व कर्मचारीयों की गलती से बन्ता दर्ज हुआ हैं। इसलिए नवीन राजस्व रेकार्ड में पुराने राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में बन्ता के बजाए वक्ता दर्ज कर तरमीम कर इन्द्राज दुरुस्ती किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं।

इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने पेश किया, प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षी को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, विपक्षी तहसीलदार द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया और साथ में भू अभिलेख निरिक्षक जावदा द्वारा जांच रिपोर्ट पेश की गई जो संलग्न हैं तथा तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा अपने जवाब में जांच रिपोर्ट अनुसार वादी के कथन अनुसार गत साबिक आराजी नं0 462/39 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा जमाबंदी रोटे ानसंवत् 2065–2068 मे वक्ता पिता देवा भील प्रार्थी के नाम दर्ज है जिसके हाल आराजी नं0 97 रकबा 0.5200हे0 बनना मिलाल क्षैत्रफल से स्पश्ट हैं। पेश किये गये भू प्रबंध मिसल व जमाबंदी आधार वर्ष संख्या 2065–68 के बाद हाल आराजी नं0 97 रकबा 0.5200 हेक्टेयर में प्रार्थी खातेदार का नाम वक्ता पिता देवा भील के बजाए जमाबंदी संवत् 2073–76 में बन्ता पिता देवा भील सहवन से वक्त भू–प्रबंध दर्ज हुआ हैं, जो दुरुस्ती योग्य हैं।

इसलिए नवीन जमाबंदी राजस्व रेकार्ड में उक्त तरमीम किये जाने में विपक्षी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही हैं।

दोनो पक्षो के अभिवचनो के आधार पर बहस उभयपक्ष सूनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों को जमाबंदी, मिलान क्षैत्रफल पेश किया है और तहसीलदार निम्बाहेडा के जवाब, भू अभिलेख निरिक्षक जावदा द्वारा जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का नाम बन्ता पिता देवा भील के बजाए वक्ता पिता देवा भील किया जाना उचित हैं, इसलिए नवीन राजस्व रेकार्ड में बन्ता पिता देवा भील के बजाए वक्ता पिता देवा भील अंकन दुरुस्त कर तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता हैं।

इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा (चित्तौडगढ)

निर्णय आज दिनांक 31-5-22 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

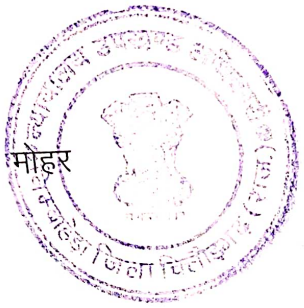

मोहर

चन्द्रशेखर भण्डारी (R.A.S.)
उपखंड अधिकारी, निम्बाहेडा